By E-mail/Courier

पत्रांक–म०भो० / को०–46 / (अंश–क)2012–371 /

**बिहार सरकार**

**शिक्षा विभाग**

**बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति**

प्रेषक,

**संजीवन सिन्हा,**
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना)
(वैशाली एवं किशनगंज)।

पटना, दिनांक 27/1/15

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना अन्तर्गत जिलों में पदस्थापित मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी के वेतन भुगतान हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

माँग संख्या–21, मुख्यशीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01, प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–112– विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना, उपशीर्ष–0002– मध्याह्न भोजन योजना, विपत्र कोड एन 2202011120002 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–0101–वेतनादि में वित्तीय वर्ष 2014–15 में संलग्न विवरणी में अंकित राशि 4,32,906, / – (चार लाख बतीस हजार नौ सौ छः रू०) मात्र आपके निस्तारार्थ आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि में वित्तीय वर्ष 2013–14 अथवा इसके पूर्व के बकाये वेतन आदि का भुगतान किया जा सकता है। यदि आवंटित राशि से बकाये का वेतनादि का भुगतान किया जाता है तो इसकी विवरणी निश्चित रूप से दिनांक 31.03.2015 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

3. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 (वि०–2), दिनांक 17.04.1998 एवं 300(वि), दिनांक 8.05.2009 एवं पत्रांक 3833, दिनांक 02.04.2012 एवं पत्रांक 4201 दिनांक 12.04.2012 में के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।

4. प्राप्त आवंटन से विधिवत् रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाय। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

O/C

27/1/15

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं माँग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतनादि का नियमित भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आबंटित राशि से किया जा सकता है।

9. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

10. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, (मध्याह्न भोजन योजना) का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।

11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन

(संजीवन सिन्हा)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना
23/2/15

ज्ञापांक 371 / पटना, दिनांक 23/2/15 /

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, (वैशाली एवं किशनगंज )/ जिला पदाधिकारी ( वैशाली एवं किशनगंज), /प्रमंडलीय आयुक्त/अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/प्रशाखा–05/कार्यालय सहायक–05/सहायक आंतरिक वित्तीय कोषांग/आई०टी०मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजीवन सिन्हा)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना
23/2/15

By E-mail/Courier

माँग संख्या-21, मुख्य शीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीष–01–प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष–112– विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना, उपशीर्ष–0002–मध्याह्न भोजन योजना, विपत्र कोड–एन 2202011120002 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत संबंधित जिलों में पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु देय राशि की विवरणी :–

| क्रम संख्या | संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), | आवंटन विवरणी | वेतन | जीवन यापन भत्ता | मकान किराया भत्ता | परिवहन भत्ता | चिकित्सा भत्ता | अन्य भत्ता | योग वेतन एवं भत्ते | यात्रा व्यय | कार्यालय व्यय | वाहन का ईधन एवं रख रखाव | चिकित्सा प्रतिपूत्ति | विद्युत प्रकार | वर्दी/ पोशाक | किराया महसूल एवं कर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुट संख्या | | | 0101 | 0103 | 0104 | 0105 | 0106 | 0107 | | 1101 | 1301 | 1302 | 0601 | 1304 | 1306 | 1401 | |
| 1 | **वैशाली** | पूर्व आवंटन (2014–15) | 315000 | 210000 | 45000 | - | 2400 | - | 572400 | - | - | - | - | - | - | - | 572400 |
| | | वर्त्तमान आवंटन (2014–15) | **86810** | **217196** | **0** | - | **400** | - | **304406** | - | - | - | - | - | - | - | **304406** |
| | | कुल आवंटन (2014–15) | 401810 | 427196 | 45000 | - | 2800 | - | 876806 | - | - | - | - | - | - | - | 876806 |
| 2 | **किशनगंज** | पूर्व आवंटन (2014–15) | 303000 | 333300 | 0 | - | 2399 | - | 638699 | - | - | - | - | - | - | - | 638699 |
| | | वर्त्तमान आवंटन (2014–15) | **70000** | **50000** | **8500** | - | **0** | - | **128500** | - | - | - | - | - | - | - | **128500** |
| | | कुल आवंटन (2014–15) | 373000 | 383300 | 8500 | - | 2399 | - | 767199 | - | - | - | - | - | - | - | 767199 |
| कुल योग | | पूर्व आवंटन (2014–15) | 618000 | 543300 | 45000 | - | 4799 | - | 1211099 | - | - | - | - | - | - | - | 1211099 |
| | | वर्त्तमान आवंटन (2014–15) | **156810** | **267196** | **8500** | - | **400** | - | **432906** | - | - | - | - | - | - | - | **432906** |
| | | कुल आवंटन (2014–15) | 774810 | 810496 | 53500 | - | 5199 | - | 1644005 | - | - | - | - | - | - | - | 1644005 |

**₹ 4,32,906/–(चार लाख बतीस हजार नौ सौ छः रू०) मात्र**

(संजीवन सिन्हा)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना
23/4/15